तेजराम बनाम रामजीलाल

(२)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2020/43	
28/3/22 पत्रावली पेश हुई। दिनांक 15/3/22 को सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत मामला नामा० की अपील का है। जिसमें कोई दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित है। नामा० की कार्यवाही एकतरफा प्रोसेडिंग है। जिससे हमारी राय में मूल दस्तावेज को प्रस्तुत कराया जाना आवश्यक नहीं है। रेस्पो० की ओर से प्रस्तुत किए गये मूल नकल की छायाप्रति पूर्ण एवं स्पष्ट है। फिर भी हम यह उचित समझते है कि वकील रेस्पो० मूल वही से सम्बन्धित दस्तावेज जो इस न्यायालय में प्रस्तुत किए गये है कि छायाप्रति वकील अपीलार्थी को उपलब्ध करावे। इन्हीं निर्देश के साथ वकील अपीलार्थी की आपत्ती/ मांग दि० 15/3/22 निर्णित की जाती है। वास्ते बहस फाइनल पत्रा० दि० 29/3/22 को पेश हो।	
29/3/22 वकील उभयपक्ष उप० । वास्ते फाइनल बहस पत्रा० दि० 6/4/22 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	
6/4/22 वकील उभयपक्ष उप० है। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 13/4/22 को पेश हो।	
13/4/22 वकील उभयपक्ष उप० है। अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामा० सं० 995 दि० 6.7.2015 ग्राम रामगढ़ मुराड़ा निरस्त किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ख० नं० 1064 / 1694 रकबा 0.66 है० ख० नं० 1105 रकबा 1.85 है० ग्राम रामगढ़ मुराड़ा की राजस्व अभिलेख में इस नामा० से पूर्व की स्थिति कायम की जावे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रा० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
2/2022	7.2.2022	13.4.2022

1. तेजराम पुत्र रामस्वरूप, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
2. मनोज पुत्र रामस्वरूप , मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
3. महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप , मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र रामफूल, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
2. रामखिलाडी पुत्र रामफूल, मीना निवासी रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी
3. गुलाब देवी (मृतक)
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—रेस्पोन्डेन्टगण

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरकरण संख्या 995 दिनांक 6.7.2015 ग्राम पंचायत रामगढमुराडा

उपस्थित :— श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, अपीलार्थीगण की ओर से
श्री बृजनंदन दीक्षित, एडवोकेट, रेस्पो0 संख्या 1, 2 की ओर से

निर्णय

अपीलार्थीगण ने अपील इस आशय की पेश की है कि ग्राम रामगढ मुराडा तह0 गंगापुर सिटी के ख0न0 1064/1692 रकबा 0.66 है0, ख0न0 1105 रकबा 1.85 है0 की सहखातेदारी रामफूल पुत्र रामंचद मीणा के नाम दर्ज थी। उक्त खसरा नम्बरों मे अन्य सहखातेदार भी दर्ज रहे है। रामफूल पुत्र रामचंद के वारिसान अपीलार्थीगण है। रामफूल पुत्र रामचंद का गोत्र घुणावत रहा है। उसके वंशज अपीलार्थीगण भी घुणावत गोत्र के है। रामफूल पुत्र रामचंद का काफी समय पूर्व देहावसान हो गया है। रेस्पोडेन्ट रामजीलाल व रामखिलाडी के पिता का नाम रामफूल था तथा रामजीलाल रामखिलाडी के पिता रामफूल के पिता का नाम गंगाविशन था। रामफूल पुत्र गंगाविशन का गोत्र मुराडया था। इस प्रकार ग्राम रामगढ मुराडा मे रामफूल नाम के दो अलग अलग व्यक्ति थे। जिनमे एक का नाम रामफूल पुत्र गंगाविशन एव दूसरे का नाम रामफूल पुत्र रामचंद मीना था। रामफूल पुत्र गंगाविशन की खातेदारी मे ख0न0 1064/1692 रकबा 0.66 है0 व ख0न0 1105 रकबा 1.85 है0 कभी दर्ज नही रहे। ख0न0 1064/1692 व 1105 की खातेदारी रामफूल पुत्र रामचंद के नाम रही। रामजीलाल व रामखिलाडी पुत्र रामफूल पपोत्र गंगाविशन चालाक किस्म के व्यक्ति है। इन्होने रामफूल पुत्र

जिला कलेक्टर
[गंगापु]र सिटी (स0मा0)

रामचंद के हिस्से की भूमि ख0न0 1064/1692, 1105 का नामान्तकरण तत्कालीन पटवारी हल्का रामप्रसाद बैरवा से साज कर अपने नाम दिनांक 6.7.15 को भरवा कर ग्राम पंचायत से तस्दीक करवा लिया जबकि दिनांक 6.7.15 को ग्राम पंचायत रामगढमुराडा का जगनलाल नाम का व्यक्ति सरपंच नही रहा। इस प्रकार तस्दीक हुआ नामान्तकरण संख्या 995 दिनांक 6.7.15 विधि विरूद्ध एवं इनिशियो बोईड है। जिसे माननीय न्यायालय सुओ मोटो खारिज करने के लिए सक्षम है। रेस्पोडेन्टस ने गुपचुप तरीके से अपीलाधीन नामान्तकरण खुलवाया है। अपीलार्थी मृतक रामफूल पुत्र रामचंद के वंशज है। अपीलार्थीगण के पूर्वज रामफूल का संवत 2048 मे देहावसान हुआ था। उसकी अस्थियॉ सोरोजी मे विसर्जित करने के लिए अपीलार्थीगण का बाबा गंगाधर पुत्र ऊकार गया था। जहॉ सोरोजी के पंडाजी ने अपनी बही मे उल्लेख किया था। बही के लिखावट की प्रति नोटेरी से तस्दीक शुदा अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है। सोरोजी गंगाजी के पंडा मोहनकांत दुबे ने इस बाबत शपथपत्र भी तस्दीक करा कर दिया है। अपील के साथ एक जमाबंदी संवत 2071—74 यह दर्शाने के लिए पेश की जा रही है कि रामफूल पुत्र रामचंद ग्राम रामगढमुराडा का निवासी था। व उसकी जमीन रामगढ मुराडा मे अभी भी ख0न0 1107, 1117, 1118 है। इससे सिद्ध है कि रामफूल पुत्र रामचंद मीना ग्राम रामगढमुराडा मे रामफूल पुत्र गंगाविशन से भिन्न व्यक्ति रहा है। आलोच्य नामान्तकरण संख्या 995 दिनांक 6.7.15 रामफूल पुत्र रामचंद के स्थान पर गुलाब देवी बेबा रामफूल, रामजीलाल, रामखिलाडी पुत्रान रामफूल के नाम खुला है। गुलाब देवी की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उसके दोनो पुत्र रामजीलाल व रामखिलाडी को ही रेस्पोडेन्ट बनाया गया है। नामान्तकरण मे दर्ज अन्य सहखातेदारान के हिस्से मे कोई परिवर्तन नामान्तकरण संख्या 995 दिनांक 6.7.15 द्वारा नही हुआ है। इसलिए इन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। अपीलार्थीगण को इस नामान्तकरण की जानकारी पूर्व मे नही थी। ग्राम मे पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर सर्वप्रथम 9.12.21 को जानकारी हुई। अपीलार्थीगण ने पटवारी से नकल मांगी तो उसने कुछ दिन बाद सम्पर्क करने को कहा व आज कल आज कल करते हुए दिनांक 12.12.2021 को नकल दी। सर्दी के कारण प्रार्थीगण की तबियत दिनांक 31.1.2022 तक खराब रही यद्यपि इस प्रकार के अवैध नामान्तकरण को निरस्त करवाने की कोई मियाद नही होती है। माननीय न्यायालय स्वयं भी संज्ञान लेकर निरस्त फरमा सकते है तथा अब कोविड —19 के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मियाद की छूट दे रखी है।

प जिला कलेक्टर
गापुर सिटी (स०मा०)

इस कारण यह अपील अंदर मियाद पेश है फिर भी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र साथ मे पेश है। अतः अपील पेश कर अर्ज है कि नामान्तकरण संख्या 995 दिनांक 6.7.2015 निरस्त फरमाया जावे व रामफूल पुत्र रामचंद मीना के स्थान पर अपीलार्थीगण का नाम प्रतिस्थापित फरमाया जावे।

अपील के साथ अपीलार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र, नकल नामान्तरकरण संख्या 995 दिनांक 6.7.2015 की प्रति, नकल जमाबंदी संवत 2071–74 ग्राम रामगढ मुराडा, नकल भूप्रबन्ध खतौनी संवत 2039, फोटोकॉपी लिखावट पंडा, शपथपत्र मोहनकांत दुवे, गंगागुरू पुत्र श्री दयानंद दुबे निवासी सौरो प्रस्तुत किये है। इसके अतिरिक्त रामफूल के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, ग्राम पंचायत खेडाबाढरामगढ के पत्रांक 22 दिनांक 31.1.2022 की छायाप्रति, पंचो की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 6.7.2015 की छायाप्रति भी प्रस्तुत की है।

अपील अपीलार्थिया दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को तलब किया गया। मूल नामान्तकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाया गया।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहॉ से मूल नामान्तकरण प्राप्त होकर पत्रावली संलग्न है।

रेस्पोन्डेन्ट नं0 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2 ने 3.3.22 को क्रॉस अपील/ऑब्जेक्शन प्रस्तुत किया। जिसमे उन्होने अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि रामफूल पुत्र रामचंद मीना निवासी रामगढ मुराडा की खातेदारी की भूमि रही है। रामफूल पुत्र रामचंद मीना लाऔलाद फौत हुआ है। जिसका कोई भी वारिस नही रहा है। इस भूमि का साबिक ख0न0 418 रहा है। साबिक ख00 418 ग्राम रामगढ मुराडा मे से 10 बीघा भूमि रामफूल पुत्र रामचंद दिनांक 4.5.67 मे आवंटित हुई। जिसका उसे पट्टा दिया गया। रामफूल पुत्र रामचंद मीना को आवंटित भूमि मे से हस्तगत प्रकरण मे वादग्रस्त ख0न0 1105 व 1064/1692 व अन्य खसरा नम्बर 1107, 1117 बनाये गये है। आंवटी रामफूल पुत्र रामचंद मीना के वादग्रस्त ख0न0 1105, 1064/1692 के अतिरिक्त ग्राम रामगढ मुराडा के ख0न0 1107 व 1117 मे पृथक पृथक हिस्सा 1/4 – 1/4 खातेदारी मे दर्ज हुआ। साबिक ख0न0 418 मे से रामफूल पुत्र रामचंद मीना को आवंटित 10 बीघा भूमि रामफूल पुत्र रामचंद मीना द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व माता गुलाब देवी को तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के काका मोहनलाल व मूला को मिती सावन सुदी पंचमी संवत 2032 मे दो हजार रूपये की एवज मे विक्रय

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

कर मौके पर कब्जा संभला दिया तथा रामफूल पुत्र रामचंद द्वारा उक्त विक्रय की सनद मे प्रत्यर्थी संख्या 1 रामजीलाल की बही मे प्रत्यर्थी संख्या 1 रामजीलाल व मोहनलाल व मूल्या के नाम विक्रय पत्र रामजीलाल पुत्र भौंदया मीना निवासी रामगढ मुराडा से यकलम करवा कर तहरीर व तकमील करवा दी । खरीद के दिन से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व इनके काका मोहनलाल व मूल्या बहैसियत क्रेता अधिकारपूर्वक खुले आम शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। काका मोहनलाल व मूल्या का निधन हो चुका है तथा उनके वारिस खरीदशुदा भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। खरीदशुदा भूमि मे से 1/3 हिस्से पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 काश्त करते आ रहे है। रामफूल पुत्र रामचंद से रेस्पो. ने व मोहनलाल व मूल्या ने भूमि की रजिस्ट्री करवाने बाबत कही बार कहा लेकिन रामफूल पुत्र रामचंद मीना बीमार होने के कारण टालमटोल करता रहा। इसलिए रेस्पेाडेन्ट, मोहनलाल व मूल्या के हक मे खरीदशुदा भूमि की रजिस्ट्री नही हेा सकी। अपीलार्थीगण ने बिना किसी अधिकार के यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थीगण का मृतक रामफूल पुत्र रामचंद की विरासत से कोई सम्वन्ध नही है। मृतक रामफूल पुत्र रामचंद लाऔलाद फौत हुआ है। साविक ख0न0 418 मे से वादग्रस्त ख0न0 1064/1692 व 1105 के अतिरिक्त ख0न0 1107 व 1117 मे मृतक आवंटी रामफूल पुत्र रामचंद का हिस्सा 1/4 का अंकन वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे है। परन्तु वादग्रस्त ख0न0 1064/1692 रकवा 0.66 है0 व ख0न0 1105 रकवा 1.85 है0 मे आंवटी मृतक रामफूल पुत्र रामचंद हि0 1/4 के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों ने रेस्पोडेन्ट की खरीदशुदा भूमि को नाजायज रूप से वादग्रस्त करने के उद्‌देश्य से अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 995 के जरिए दिनांक 6.7.15 को विरासत के नामान्तकरण के रूप मे मृतक रामफूल पुत्र रामचंद के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व उनकी माता गुलाब के हक मे विधी विरूद्ध व गलत रूप से विरासत का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पेाडेन्ट के पिता का नाम रामफूल पुत्र गंगाविशन है जो फौत हो चुका है। रामफूल पुत्र रामचंद के प्रकरण मे वादग्रस्त भूमि का जो विधि विरूद्ध अपीलाधीन नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट के हक मे राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से तस्दीक किया गया है खातेदार रामफूल पुत्र रामचंद के परिवार अथवा उसकी विरासत से रेस्पोडेन्ट का कोई सम्बन्ध नही है। रेसपोडेन्ट के हक मे खोला गया अपीलाधीन विरासत का नामान्तकरण निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट के पिता रामफूल पुत्र गंगाविशन व रामफूल पुत्र रामचंद मीना पृथक पृथक व्यक्ति है। मृतक रामफूल पुत्र रामचंद मीना निवासी रामगढ मुराडा से रेस्पोडेन्ट व उनके काका मोहनलाल व मूल्या

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

द्वारा साबिक ख0न0 418 रकबा 10 बीघा भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। रेस्पोडेन्ट मृतक रामफूल पुत्र रामचंद की खातेदारी मे अंकित हस्तगत प्रकरण मे वादग्रस्त भूमि ख0न0 1064/1692 व 1105 तथा ख0न0 1107, 1117 का हस्तान्तरण का नामान्तकरण खुलवाने के अधिकारी है। इस सम्बन्ध मे अलग से कार्यवाही की जावेगी। विरासत का यह अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्ध व साजिशी होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन नामान्तकरण के अस्तित्व मे बने रहने से रेस्पोडेन्ट के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। जिसको क्रास अपील/ऑब्जेक्शन मे अंकित आपत्तियों के अनुसार निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः क्रास अपील/ऑब्जेक्शन पेश कर निवेदन है कि क्रास अपील /ऑब्जेक्शन मे वर्णित आधारों पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 995 दिनांक 6.7.15 ग्राम रामगढ मुराडा निरस्त फरमाया जावें।

अपनी क्रोस अपील/आब्जेक्शन के समर्थन में रेस्पो0 की ओर से फर्द मौका दिनांक 5.8.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि, रामफूल पुत्र रामचंद को आवंटित भूमि के पट्टे की छायाप्रति, बही की छायाप्रति एवं बही में हो रही लिखावट का हिन्दी बर्णन प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी अपील के अनुसार बहस करते हुए कहा कि भूमि ख0नं0 1064/1692 व1105 ग्राम रामगढमुराडा मृतक रामफूल पुत्र रामचन्द मीना के नाम सहखातेदारी में दर्ज भूमि है। अपीलार्थीगण मृतक रामफूल के वारिस व वंशज हैं। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3 का मृतक रामफूल से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। ग्राम रामगढमुराडा में रामफूल पुत्र रामचन्द व रामफूल पुत्र गंगाविशन नाम के दो व्यक्ति रहे हैं। रामफूल पुत्र रामचन्द के वारिस व वंशज अपीलार्थीगण हैं एवं रेस्पोन्डेन्ट्स के पिता का नाम रामफूल पुत्र गंगाविशन रहा है। रेस्पो0 ने पटवारी हलका रामप्रसाद बैरवा से साज कर दिनांक 6.7.2015 को रामफूल पुत्र रामचन्द की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम भरवा कर ग्राम पंचायत से तस्दीक करवा लिया जबकि दिनांक 6.7.2015 को ग्राम पंचायत में जगनलाल नाम का व्यक्ति सरपंच नहीं रहा। अपीलाधीन नामान्तरकरण गलत तथ्यों पर खोला गया है जो शुरू से ही विधि विरूद्ध एवं इनिशिओ वोइड है एवं निरस्त किए जाने योग्य है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर रामफूल पुत्र रामचन्द मीना के स्थानपर अपीलार्थीगण के नामं विरासत का नामान्तरकरण दर्ज किया जावे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

रेस्पोन्डेन्ट्स के विद्वान वकील ने अपनी ओर से अपील / आवेदन के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि रामफूल पुत्र रामचंद मीना लाऔलाद फौत हुआ है जिसके कोई भी वारिस नहीं रहा है। अपीलाधीन नामान्तरकरण में विवादित भूमि का साबिक ख0नं0 418 रहा है। साबिक ख0नं0 418 ग्राम रामगढमुराडा में रामफूल पुत्र रामचंद को 10 बीघा भूमि दि0 4.5.1967 को आवंटित हुई थी जिसके नवीन खसरा नम्बर 1105, 1064 / 1692, 1107, 1117 बने जो रामफूल पुत्र रामचंद मीना की सहखातेदारी में दर्ज हुए। साबिक ख0नं0 418 में रामफूल पुत्र रामचंद मीना को आवंटित 10 बीघा भूमि रामफूल द्वारा रेस्पो0 नं0 1, रेस्पो0 नं0 2, रेस्पो0 नं0 3 गुलाब देवी व रेस्पो0 नं0 1, 2 के काका मोहनलाल व मूलाको मिती सावन सुदी पंचमी सं0 2032 में 2000 / –रू0 में विक्रय कर मौके पर कब्जा संभला दिया एवं रेस्पो0 नं0 1 रामजीलाल की वही में विक्रय पत्र रामजीलाल पुत्र मीठया मीना रामगढमुराडा से बकलम करवाकर तहरीर व तकमील करवा दिया। खरीद के दिनांक से ही रेस्पो0 व इनके काका मोहनलाल व मूला भूमि पर बतौर खरीददार काबिज चले आ रहे हैं। रेस्पो0 की खरीदशुदा भूमि को विवादित बनाने के उद्देश्य से तत्कालीन पटवारी हलका ने अपीलाधीन विरासत का नामान्तरकरण रेस्पो0 नं0 1, 2, 3 के नाम दर्ज कर दिया जबकि रेस्पो0 के पिता का नाम रामफूल पुत्र गंगाविशन रहा है। रेस्पो0 रामफूल पुत्र रामचंद द्वारा उनके हक में किए गए विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण अपने नाम खुलवाने के अधिकारी हैं, रेस्पो0 के नाम विरासत का नामान्तरकरण पटवारी हलका ने जानबूझकर गलत खोला है , विरासत का नामान्तरकरण रेस्पो0 के नाम से खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि ग्राम रामगढमुराडा में रामफूल पुत्र रामचन्द मीना व रामफूल पुत्र गंगाविशन मीना नाम के दो अलग अलग व्यक्ति रहे हैं। इस तथ्य को दोनों ही पक्ष स्वीकार करते हैं। अपीलार्थीगण का कहना है कि वे मृतक रामफूल पुत्र रामचंद के वंशज व वारिस हैं इसलिए विरासत का नामान्तरकरण अपीलार्थीगण के नाम खोला जाना चाहिए परन्तु रेस्पो0 ने पटवारी हलका से मिलकर विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया। इसके विपरीत रेस्पो0 का कहना है कि उनके पिता का नाम रामफूल पुत्र गंगाविशन है, रामफूल पुत्र रामचंद लाऔलाद फौत हुआ है, उसके कोई वारिस नहीं है, उसने उसको आवंटित 10 बीघा भूमि मिती सावन सुदी पंचमी सं0 2032 में रू0 2000 / – में रेस्पोन्डेन्ट नं0 1, 2, 3 तथा रेस्पो0 के काका मोहनलाल व

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मूला को विक्रय कर विक्रय पत्र बही में तहरीर व तकमील कर दिया एवं खरीद के बाद से ही हम भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। रेस्पो0 का यह भी कहना है कि उनके नाम विरासत का नामान्तरकरण पटवारी हलका ने गलत खोला है, वास्तव में उनके नाम विक्रय का नामान्तरकरण खोला जाना चाहिए था न कि विरासत का। जिसके लिए वे अलग से कार्यवाही करेंगे। दोनों पक्षों के कथनों से यह तो स्पष्ट है कि मृतक रामफूल पुत्र रामचंद का विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण रेस्पो0 के नाम गलत खुला है एवं इस तथ्य को दोनों ही पक्ष मानते भी हैं इसलिए अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किए जाने योग्य है। जहां तक अपीलार्थीगण के मृतक रामफूल पुत्र रामचंद के वारिस व वंशज होने तथा इस आधार पर विरासत उनके नाम दर्ज किए जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में इस नामान्तरकरण अपील में कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए अपीलार्थीगण पृथक से कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। इसी अनुसार प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाना उचित है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 995 दिनांक 6.7.2015 ग्राम रामगढमुराडा निरस्त किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 1064/1692 रकबा 0.66 है0, ख0नं0 1105 रकबा 1.85 है0 ग्राम रामगढमुराडा की राजस्व अभिलेख में इस नामान्तरकरण से पूर्व की स्थिति कायम की जावे। पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को मूल नामान्तरकरण संख्या 995 दिनांक 6.7.2015 ग्राम रामगढमुराडा एवं निर्णय की सत्य प्रतिलिपि भिजवायी जावे ।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.4.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)